राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ–5/अभि./सीटीएडी/ सडक एवं पुलिया निर्माण–II/2019–20/ 46657-65 दि. 23/12/19

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय– सी.सी. सडक निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग– विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 28152–56 दिनांक 16.07.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में परियोजना अधिकारी, टीएडी, उदयपुर के पत्र क्रमांक 2160–61 दिनांक 19.08.2019 साथ संलग्न पंचायत समिति गिर्वा का पत्रांक 1262 दिनांक 06.08.2019 से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम सं. 5 में वर्णित राशि 10.00 लाख रू. की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है–

कार्यकारी एजेन्सी – ग्राम पंचायत (राशि लाख रू. मे)

क्र.स.	कार्य का नाम व स्थान	पंस.	तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किश्त देय राशि
			क्र/दि	राशि	
1	2	3	4	5	6
1	इन्टरलोकिंग कार्य देईमाता ग्रा.पं. देवाली ग्रामीण	गिर्वा	79/31.07.2019	10.00	8.00

उपरोक्त कार्य की राशि 10.00 लाख के विरूद्व प्रथम किश्त 8.00 लाख विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या– 42/ 2019–20 दिनांक 8.11.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि रू. 525.00 लाख में से परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को देय होगी।

कार्य का सम्पादन निम्नांकित शर्तो के अधीन कराया जावे।

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जावें। दोहरा व्यय के लिए सम्बन्धित पंचायत समिति एवं कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
3. निर्विवाद सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य कराया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावें। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावें।
5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
6. परियोजना अधिकारी इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 20728–80 दिनांक 23.05.2019 द्वारा निर्देशानुसार जिन कार्य की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई उन कार्यो की राशि सीधे ही ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित नही कर संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को नियमानुसार हस्तान्तरित करेंगे।
7. ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यो का सम्पादन किया जावेगा एवं नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेंगे।
8. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) लगाया जावें।

Sd-
(शिवांगी स्वर्णकार)IAS
आयुक्त

Letter I 2019

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा नवीन सडक पुलिया/2019–20/ 46657-65 दिनांक : 23/12/19

प्रतिलिपी :–सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ठ सहायक, मां. मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे शासन से विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या–42/ 2019–20 दिनांक 8.11.2019 राशि रू. 525.00 लाख में से कॉलम सं. 6 अनुसार राशि 8.00 लाख परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को राशि हस्तान्तरण करावें।
5. निदेशक, मोनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
6. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति गिर्वा जिला उदयपुर ।
8. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
Website www.tad.rajasthan.gov.in ई–मेल : comm.tad @gmail.com